

## आदेश

आपदा प्रबन्धन अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या-592/XVIII-(2)/17-4 (14)/2015, दिनांक 19 अप्रैल 2016 एवं शासनादेश संख्या-1289/XVIII-(2)/17-4 (14)/2015, दिनांक 21 जून 2017 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति पर प्रभावितों को अहेतुक सहायता, गृह अनुदान एवं अनुग्रह अनुदान इत्यादि मदों के अन्तर्गत तत्काल राहत सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु जनपद अल्मोड़ा को रूपया 500.00 लाख(रूपया पाँच करोड़) का धनावंटन प्राप्त हुआ है। तहसीलदार सदर अल्मोड़ा एवं तहसीलदार सोमेश्वर की माँग अनुसार तहसीलदार सदर अल्मोड़ा एवं तहसीलदार सोमेश्वर के निर्वतन में रखे जाने हेतु निम्नानुसार द्वितीय किस्त स्वीकृति की जाती है:-

क्र०सं०	तहसील का नाम	पूर्व में आवंटित धनराशि	वर्तमान में आवंटित धनराशि	कुल आवंटित धनराशि
1	तहसील सदर अल्मोड़ा	20,00,000-00	20,00,000-00	40,00,000-00
2	तहसील सोमेश्वर	10,00,000-00	10,00,000-00	20,00,000-00

- 1- स्वीकृत धनराशि अहेतुक सहायता, गृह अनुदान एवं अनुग्रह अनुदान मदों में ही नियमानुसार व्यय की जायेगी एवं अवशेष धनराशि वित्तीय वर्ष के अन्त में शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
- 2- स्वीकृत धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत गई है। धनराशि का गलत उपयोग होने पर सम्बन्धित उप जिलाधिकारी व तहसीलदार का पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व होगा।
- 3- स्वीकृत धनराशि का वितरण तत्परता पूर्वक कराया जायेगा, जिससे प्रभावितों को शीघ्रातिशीघ्र राहत राशि का वितरण सुनिश्चित हो सके।
- 4- प्रभावितों की सम्यक पहचान (Identity) एवं पुष्टि के बाद ही स्वीकृत राहत सहायता का वितरण किया जायेगा। राहत सहायता के वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता एवं दोहराव (Duplycacy) की स्थिति पाये जाने पर सम्बन्धित उप जिलाधिकारी व तहसीलदार पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 5- उपरोक्त के सम्बन्ध में राहत राशि के वितरण हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत गाईड लाईन्स दिनांक 08 अप्रैल 2015 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, जिसकी प्रति आपको पूर्व में ही प्रेषित की जा चुकी है।
- 6- स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31.03.2018 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा। यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो वह उक्त तिथि तक शासन को समर्पित कर दी जाए।
- 7- व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

दिनांक- 10-08-2017

H0/ईवा आशीष श्रीवास्तव  
जिला अधिकारी, अल्मोड़ा।

### कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा।

संख्या- 09 /तेरह- 07 /2016-17, दिनांक- 10 अगस्त 2017

प्रतिलिपि निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, आपदा प्रबन्धन अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
- 3- महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबेराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
- 5- उप जिलाधिकारी, सदर अल्मोड़ा/सोमेश्वर
- 6- तहसीलदार, सदर अल्मोड़ा/सोमेश्वर
- 7- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, अल्मोड़ा।
- 8- जिला सूचना अधिकारी, अल्मोड़ा।
- 9- जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी, अल्मोड़ा।
- 10- कार्यालय प्रति।